



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1944 (श10)
(सं0 पटना 241) पटना, सोमवार, 25 अप्रैल 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल 2022

सं० 02/CMT(शुल्क संशोधन)-35/2014-2575/परि०—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-211 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-32 एवं 81 के परन्तुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-4966, दिनांक-26.09.2017 में अधिसूचित शब्द "अधिभार (Surcharge)" के स्थान पर उपर्युक्त अधिसूचना के निर्गमन की तिथि-26.09.2017 के प्रभाव से "अतिरिक्त फीस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 25th April 2022

No.-02/CMT(शुल्क संशोधन)-35/2014-2575/परि०—In exercise of the powers conferred by the proviso of Rule-32 and 81 of Central Motor Vehicle Rule, 1989 and section-211 of Motor Vehicle Act., 1988, the word "Surcharge" written in notification no.-4966, dated-26-09-2017, issued under Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 is replaced by "additional fee" with effect from the date of issuance of above notification which is 26.09.2017.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>